न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—30 / 2020 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. सुनिल पिता नारायण जाति गाडरी आयु 12 वर्ष नाबालिग बली संरक्षक माता श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी नारायण जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सेथुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. संजना पुत्री नारायण जाति गाडरी आयु 06 वर्ष नाबालिग बली संरक्षक माता श्रीमती प्रेमदेवी पत्नी नारायण जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सेथुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. नन्दराम पिता धन्ना जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सेथुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा मृतक के बजाय—

   1 / 1 नारायण पिता नन्दराम गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सेथुरिया तह0 एव जिला भीलवाड़ा

   1 / 2 शान्ता पुत्री नन्दराम गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सेथुरिया तह0 एव जिला भीलवाड़ा

   1 / 3 सीता पुत्री नन्दराम गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सेथुरिया तह0 एव जिला भीलवाड़ा

   1 / 4 भेरीं पुत्री नन्दराम गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सेथुरिया तह0 एव जिला भीलवाड़ा

   1 / 5 नारायणी पुत्री नन्दराम गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सेथुरिया तह0 एव जिला भीलवाड़ा

   1 / 6 गोगा पत्नी नन्दराम गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सेथुरिया तह0 एव जिला भीलवाड़ा
2. नारायण पिता नन्दराम गाडरी जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सेथुरिया तह0 एव जिला भीलवाड़ा
3. पारस पुत्री देबीलाल जाति गाडरी आयु नाबालिग बली संरक्षक माता नानूबाई पत्नी देबीलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सेथुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. कृष्णा पुत्री देबीलाल जाति गाडरी आयु नाबालिग बली संरक्षक माता नानूबाई पत्नी देबीलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सेथुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. गीता पुत्री देबीलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सेथुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. संगीता पुत्री देबीलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सेथुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. रतन पिता देबीलाल जाति गाडरी आयु नाबालिग बली संरक्षक माता नानूबाई पत्नी देबीलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सेथुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
8. नानूबाई पत्नी देबीलाल जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सेथुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
9. सोसर पत्नी धन्ना जाति गाडरी आयु वयस्क निवासी सेथुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
10. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, भीलवाडा (राज०)
11. उप पंजीयक, कारोईकला जिला भीलवाडा (राज०)

— विपक्षीगण

16/6/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 (क) व 188 रा०टि०एक्ट
बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरस्थी व स्थाई निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा०टि०एक्ट

उपस्थित–
1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री मांगी लाल सेन एवं कन्हैया लाल सेन
2. अप्रार्थी अधिवक्ता श्री दूधाराम कुमावत

निर्णय दिनांक 16/6/25

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल सेन द्वारा दिनांक 09.12.2020 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को रजिस्टर क्रम संख्या 30/2020 पर दर्ज किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य ग्राम सेथुरिया प0 ह0 सेथुरिया तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में खाता संख्या 111 में विवादग्रस्त कृषि आराजी संख्या 1356, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1431, 1432 कुल किता 8 कुल रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि के खाते में विपक्षी संख्या 1 नन्दराम का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में निहित है। खाता संख्या 354 की आराजी संख्या 1430, 1433, 1763, 1764, 2067/1764 कुल किता 05 कुल रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा भूमि में विपक्षी संख्या 1 नन्दराम का 1/6 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में निहित है। खाता संख्या 110 की आराजी संख्या 996, 1745, 1746 कुल किता 3 कुल रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा भूमि में विपक्षी संख्या 1 नन्दराम का 1/9 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में निहित है।

प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है–

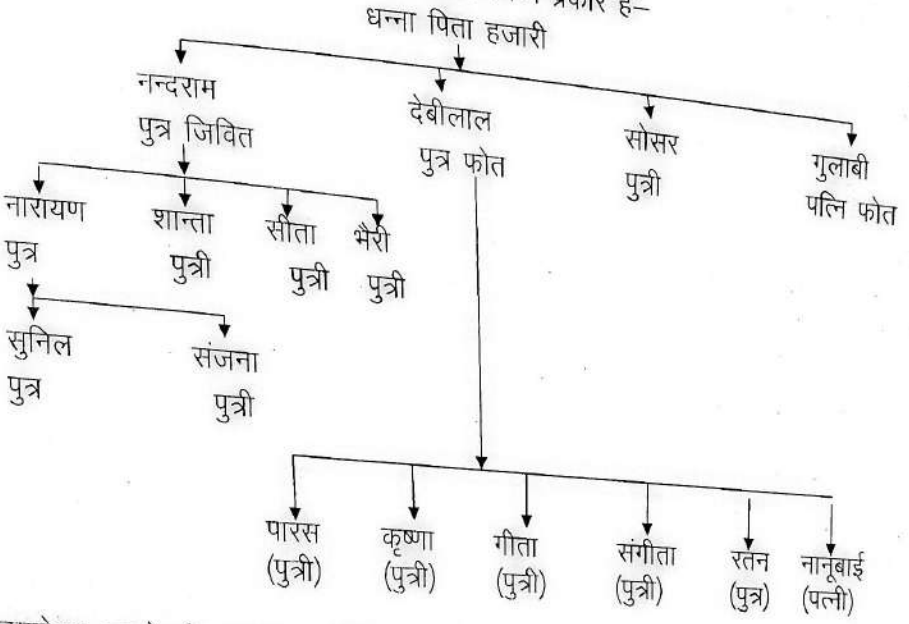

उपरोक्त सजरे के अनुसार प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के परिवार में मुख्य पुरुष धन्ना पिता हजारी जी थे, जिनके दो पुत्र नन्दराम, देबीलाल, पुत्री सोसर एवं गुलाबी पत्नी हुऐ, नन्दराम जिवित है जो कि विपक्षी संख्या 01 है, देबीलाल फौत हुआ जिनके 04 पुत्रीयां पारस, कृष्णा, गीता, संगीता, पुत्र रतन व नानूबाई पत्नि हुऐ जो कि विपक्षी संख्या 03 से 08 है, सोसर जिवित है जो कि विपक्षी संख्या 09 है. गुलाबी फौत हो गई, नन्दराम के 01 पुत्र नारायण व 03 पुत्रीयां शान्ता, सीता, भैरी हुई, नारायण के संसर्ग से 01 पुत्र सुनिल व 01 पुत्री संजना हुई जो कि नन्दराम के पौत्र एवं पौत्री होकर प्रार्थीगण है, ग्राम सेथुरिया में स्थित कृषि भूमि धन्ना पिता हजारी की विरासत से विपक्षी संख्या 01 नन्दराम, विपक्षी संख्या 03 से 08 के पिता एवं पति देबीलाल, विपक्षी संख्या 09 पुत्री सोसर एवं मृतक गुलाबी पत्नी को प्राप्त होकर राजस्व रेकॉर्ड में नन्दराम, देबीलाल पिता धन्ना, सोसर पुत्री धन्ना, गुलाबी पत्नी धन्ना के नाम पर दर्ज हुई, गुलाबी पत्नि धन्ना के फौत होने से

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

गुलाबी पत्नी धन्ना का हिस्सा विपक्षी संख्या 01 नन्दराम, देबीलाल के वारीस विपक्षी संख्या 03 से 08 एवं विपक्षी संख्या 09 नो सोरार को प्राप्त हुआ. इस अनुसार धन्ना के तीनो वारीसान का बराबर हक व हिस्सा निहित है अर्थात विपक्षी 01 एक नन्दराम को अपने पिता धन्ना से विरासत में प्राप्त वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा निहित है, प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 02 के पुत्र व पुत्री होकर विपक्षी संख्या 01 नन्दराम के पौत्र एंव पौत्री है, पौत्र एवं पौत्रीयो का जन्म से ही हक व अधिकार होकर दादाजी की सम्पति में बराबर हक हिस्सा एवं अधिकार प्राप्त है, किन्तु धन्ना की विरासत में विपक्षी संख्या 01 नन्दराम कर्ता खान दान होने, विपक्षी संख्या 01 एक के नाम पर दर्ज हुई, जो कि पैतृक सम्पति है, पैतृक सम्पति में प्रार्थीगण अपने हक व हिस्सो अनुसार यानि विपक्षी संख्या 01 के नाम पर दर्ज भूमि में प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा, विपक्षी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा, विपक्षी संख्या 02 का 1/3 हिस्सा निहित है, उसी अनुसार प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 01 व 02 मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग व कास्त करते आ रहे है, लेकिन राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थीगण का नाम दर्ज नही होने से, उक्त विवादग्रस्त भूमि में विपक्षी संख्या 01 के नाम पर दर्ज हक व हिस्से में से प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा घौषित किया जावें तब तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

वादग्रस्त आराजियात खाता संख्या 111 की कुल किता 8 कुल रकबा 08 बीघा 09 बिस्वा में विपक्षी संख्या 01 नन्दराम का 1/3 हिस्सा निहित है, खाता संख्या 354 की कुल खाता संख्या 110 की कुल आराजीयात किता 05 कुल रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा में विपक्षी संख्या 01 नन्दराम का 1/6 हिस्सा निहित है, खाता संख्या 110 की कुल आराजीयात किता 03 कुल रकबा 08 बीघा 09 बिस्वा में विपक्षी संख्या 01 नन्दराम का 1/9 वां हिस्सा निहित है, वादग्रस्त आराजियात पर विपक्षी संख्या 01 के नाम पर दर्ज हक व हिस्से में से प्रार्थीगण 1/3 हिस्से पर यानि किता 08 कुल रकबा 08 बीघा 09 बिस्वा में 1/9 वां हिस्सा, किता 05 कुल रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा में 1/18 वां हिस्सा एवं किता 03 कुल रकबा 08 बीघा 09 बिस्वा में 1/27 वां हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग व कास्त करते आ रहे है, विपक्षी संख्या 02 प्रार्थीगण के पिता है जिन्होने प्रार्थीगण एवं प्रार्थीगण की माता का परित्याग कर रखा है इसलिए विवादग्रस्त भूमि जो राजस्व रेकॉर्ड में विपक्षी संख्या 01 के नाम पर दर्ज है, जिसका नाजायज फायदा उठाने एवं प्रार्थीगण को कोई हक व हिस्सा नही देने के आशय से विपक्षी संख्या 02 ने विपक्षी संख्या 01 को अपने वश में कर रखा है तथा विपक्षी संख्या 01 की वृद्धावस्था है, जिसमें सोचने समझने की शक्ति कमजोर है, शराब, नशा पता आदि का सेवन भी करते है, इसलिए विपक्षी संख्या 01 के नाम पर दर्ज बेशकिमती भूमि को कोडियो के भाव में विक्रय करने पर आमादा है जिसके लिए विपक्षी संख्या 01 व 02 दलाल लोगो को उक्त भूमि विक्रय करने हेतु दिखाने लगे, प्रार्थीगण ने ऐतराज किया तो विपक्षी संख्या 01 व 02 ने प्रार्थीगण की एक ना सुनी व प्रार्थीगण के हक व हिस्से की भूमि को भी अन्य व्यक्तियो को विक्रय कर, मौके से बेदखल करने की धमकी दिनांक 05.12.2020 को दी, इसलिए प्रार्थीगण/वादीगण को विपक्षीगण/ प्रतिवादीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना भी आवश्यक हो गया है, अतः प्रार्थीगण/ वादीगण की ओर से विपक्षीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध घौषणा इन्द्राज दुरस्थी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा सन्तुलन का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है चूँकि उक्त विवादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक सम्पति है, जो कि विपक्षी संख्या 01 नाम पर दर्ज है, विपक्षी संख्या 01 के नाम पर दर्ज हक व हिस्से में प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा निहित है उसी अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग व कास्त करते आ रहा है लेकिन् विवादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 01 के नाम पर दर्ज होने का नाजायज फायदा उठा, प्रार्थीगण के हक व हिस्से की भूमि को भी विक्रय कर, मौके से बेदखल करने पर आमादा है, यदि विपक्षीगण द्वारा उक्त भूमि को विक्रय कर, प्रार्थीगण को मौके से बेदखल कर दिया गया तो अधिकाधिक विवाद उत्पन्न होगा जिसका मूल्यांकन आर्थिक रूप से किया जाना असम्भव है एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही उठानी पड़ेगी, अतः प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला पूर्ण रूप से साबित है, सुविधा सन्तुलन का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में है एवं अपूरणीय क्षति भी प्रार्थीगण को ही उठानी पड़ेगी, अतः मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

6/4/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा०टि०एक्ट का स्वीकार फरमाया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जायें कि ग्राम सेथुरिया प०ह० सेथुरिया तहसील भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 111 की आराजी नम्बर 1356 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, 1407 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, 1408 रकबा 00 बीघा 09 विस्वा, 1409 रकबा 00 बीघा 02 बिस्वा, 1410 रकबा 00 बीघा 04 बिस्वा, 1411 रकबा 00 बीघा 09 बिस्वा, 1431 रकबा 01 बीघा 00 बिस्वा, 1432 रकबा 01 बीघा 00 बिस्वा कुल किता 08 आठ कुल रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा भूमि में प्रार्थीगण के 1/6 हिस्सा, खाता संख्या 354 की आराजी 1430 रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा, 1433 रकबा 00 बीघा 06 बिस्वा, 1763 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा, 1764 रकबा 00 बीघा 09 बिस्वा, 2067/1764 रकबा 00 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 05 कुल रकबा 09 बीघा 11 बिस्वा भूमि में प्रार्थीगण के 1/18 वां हिस्सा एवं खाता संख्या 110 की आराजी नम्बर 996 रकबा 00 बीघा 14 बिस्वा, 1745 रकबा 00 बीघा 02 बिस्वा, 1746 रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 08 बीघा 09 बिस्वा भूमि में प्रार्थीगण के 1/27 वां हिस्सा के उपयोग–उपभोग व कास्त करने में विपक्षीगण किसी प्रकार की बाधा व रूकावट न तो स्वयं उत्पन्न करें, न अन्य से करावें, मौके से बेदखल नही करें, उक्त भूमि को रहन–बय बक्षीस के माध्यम से अन्तरित व भारित नही करें, विपक्षी संख्या 10 दस उक्त भूमि के बाबत् नामान्तकरण नहीं खोलें, विपक्षी संख्या 11 ग्यारह उक्त भूमि के अन्तरण बाबत् किसी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत होने पर उसका पंजीयन नहीं करें, मौके एवं रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का जवाब दिनांक 24.03.2023 को विपक्षी संख्या 01, 02 व 09 की ओर से प्रस्तुत किया गया, जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में जो सजरा बताया गया है, वह गलत होकर अस्वीकार है। सही सजरा इस प्रकार है:–

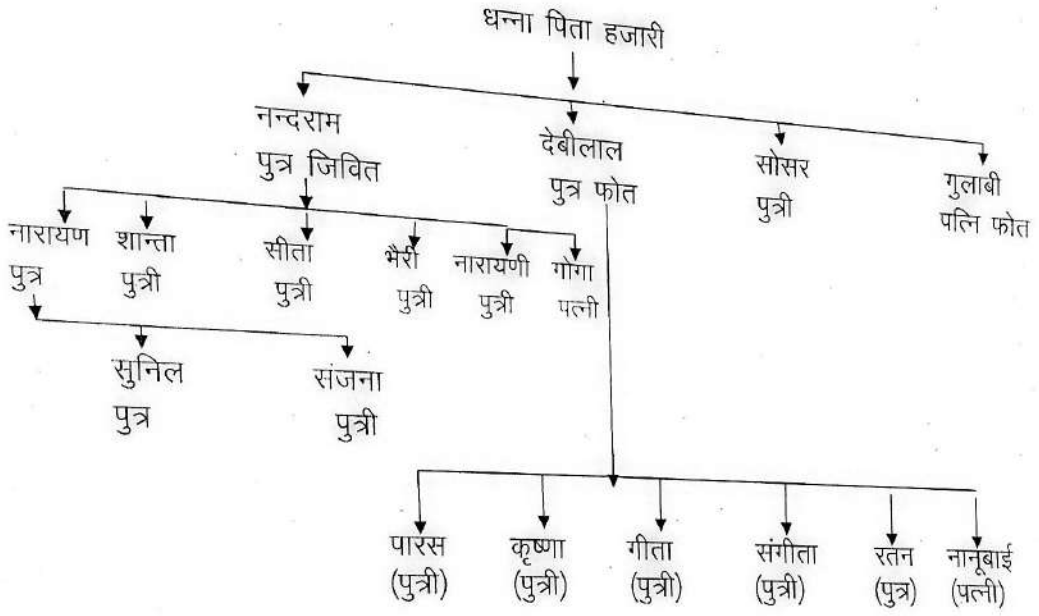

इस प्रकार नन्दराम के जीवन काल में उनके 5 विधिक वारिस एक पुत्र व चार पुत्रियां है।

धन्ना जी की जायदाद में जवाबदाता विपक्षी संख्या 01 नन्दराम का 1/3 हक हिस्सा आता है तथा नन्दराम के जीवनकाल में उसके उत्पन्न संताने एक पुत्र व चार पुत्रियां यानि कुल 5 विधिक वारिसान है। इस प्रकार प्रत्येक वारिस का 1/15 हक हिस्सा आता है तथा जवाबदाता विपक्षी संख्या 02 नारायण के विधिक वारिस प्रार्थी संख्या 01 व 02 है। इस प्रकार प्रार्थीगण के पिता का 1/15 हक हिस्सा आने से प्रार्थीगण व पिता नारायण का 1/15 में से 1/3, 1/3 हक हिस्सा तीनों का आने से कुल भूमि में 1/45, 1/45 हक हिस्सा प्रत्येक प्रार्थीगण का व विपक्षी संख्या 02 का आता है। इस प्रकार प्रार्थीगण ने अपने वादपत्र व प्रार्थनापत्र में नन्दराम जवाबदाता विपक्षी संख्या 01 के विधिक वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया है, जो आवश्यक पक्षकार के अभाव में वादपत्र पक्षकारों के असंयोजन होने से खारिज होने लायक है।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 111 में जवाबदाता विपक्षी संख्या 01 नन्दराय का 1/3 हिस्सा आता है व विपक्षी संख्या 02 का 1/5 वां हक हिस्सा आता है, इस प्रकार कुल भूमि में विपक्षी संख्या 02 का 1/15 हक हिस्सा आता है, जिससे प्रार्थीगण का प्रत्येक का 1/45 वां हक हिस्सा आता है।

वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 354 में जवाबदाता विपक्षी संख्या 01 का 1/6 वां हिस्सा आता है व विपक्षी संख्या 02 का 1/30 हक हिस्सा आता है। इस प्रकार कुल भूमि में प्रार्थीगण का प्रत्येक का 1/90 वां हक हिस्सा आता है। वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 110 में जवाबदाता विपक्षी संख्या 01 का 1/9 वां हक हिस्सा आता है। विपक्षी संख्या 02 का 1/5 वां हक हिस्से के हिसाब से कुल भूमि में 1/45 वां हक हिस्सा आता है। इस प्रकार कुल भूमि में प्रार्थीगण का प्रत्येक का 1/135 वां हक, हिस्सा आता है। प्रार्थीगण अपनी माता के बहकावे में आकर यह गलत दावा प्रस्तुत किया है विपक्षी संख्या 02 की पत्नी जानबूझकर विपक्षी संख्या 02 से लड़ाई-झगड़ा कर रखा है तथा अनावश्यक मुकदमें बाजी कर रखे है। विपक्षी संख्या 02 की पत्नी की नियत में फितुर होने से विपक्षी संख्या 02 के पास रहना नहीं चाहती है अन्य लोगो के बहकावे में आकर प्रार्थीगण की नाबालिग अवस्था में जरिये संरक्षक माता के रूप में यह वाद/प्रार्थनापत्र पेश किया ताकि विपक्षी संख्या 01 व 02 की जायदाद में से किसी प्रकार हिस्सा लेकर प्रार्थीगण के नाम नाबालिग होने का फायदा उठाकर उक्त भूमि को अपनी संरक्षकता में लेकर खुर्द-बुर्द करने की मंशा से यह वादपत्र सोची-समझी चाल के तहत प्रस्तुत किया है, जो खारिज होने योग्य है। जवाबदाता ने किसी प्रकार की कोई धमकी दिनांक 05.12.2020 को नहीं दी है। प्रार्थीगण ने जिस प्रकार यह वादपत्र प्रस्तुत किया, उसमें प्रार्थीगण किसी प्रकार हक हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

अतः प्रार्थना है कि जवाबदाता का जवाब रिकॉर्ड पर लिया जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत झूठे प्रार्थनापत्र को सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का गुणवत्तापुर्ण निस्तारण किये जाने हेतु निम्नांकित तीन बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना आवश्यक है-

1. **प्रथम दृष्टया मामला-**

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 की पुश्तैनी आराजियात है। प्रार्थीगण नन्दराम पिता धन्ना के पुत्र नारायण के पुत्र है। इस प्रकार नन्दराम पिता धन्ना के पौत्र है। वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार नन्दराम पिता धन्ना के नाम दर्ज है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के दादा के नाम दर्ज होने से प्रार्थीगण की पुश्तैनी कृषि आराजियात है, जिसमें हमारा जन्म से ही अधिकार है। प्रार्थीगण के पिता नारायण के द्वारा हमारी माता प्रेम देवी से विवाद होने से हमारी माता प्रेम देवी व हमें अपने घर से बेदखल कर दिया गया है और वादग्रस्त भूमि में हमें अपने हक अधिकारों से वंछित करना चाहते है। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पैतृक कृषि आराजियात होने से प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित होता है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सजरा सही नहीं है और उसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में चाहा जा रहा हिस्सा गलत है। प्रार्थीगण द्वारा नन्दराम की एक पुत्री नारायणी का नाम सजरे में अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार नन्दराम के नाम दर्ज हक हिस्से में से प्रार्थीगण के पिता नारायण का 1/5 वां हक हिस्सा आता है जिसमें से 2/15 हिस्सा प्रार्थीगण का बनता है व 1/15 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 2 का बनता है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सजरा सही प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजियात है जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से ही हक हिस्सा नियत है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होता है।

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

2. सुविधा का संतुलन एवं 3. अपूरणीय क्षति–

किये जाने हेतु संयुक्त रूप से निस्तारण किया जा रहा है। उक्त दोनों बिन्दुओं का गुणवत्तापुर्ण निस्तारण निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में नन्दराम पिता धन्ना की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस की मृत्यु होने के उपरान्त वादग्रस्त भूमि स्वतः ही उसके विधिक वारिसान के नाम दर्ज होगी। उक्त नामान्तरण दर्ज होने के साथ ही अप्रार्थी संख्या 2 नारायण पिता नन्दराम द्वारा प्रार्थीगण को अपने हक अधिकारों से वंछित किये जाने के उद्देश्य से वादग्रस्त भूमि का दीगर व्यक्तियों के पक्ष में अन्तरण किया जाना संभावित है। यदि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि का दीगर व्यक्तियों के पक्ष में अन्तरण कर दिया जाता है तो नवीन वादकारण उत्पन्न होंगे और प्रार्थीगण को होने वाली अपूरणीय क्षति की भरपाई किया जाना संभव नहीं होगा। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26.07.2024 को एक तरफा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है जिसके कारण अप्रार्थी संख्या 1 की मृत्यु उपरान्त उसके विधिक वारिसान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पा रहे है। अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के हितों को स्वीकार किया गया है। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की पैतृक कृषि आराजियात होने से प्रार्थीगण का हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार जन्म से ही हक हिस्सा है। यदि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण के हक हिस्से का किसी दीगर व्यक्ति के पक्ष में अन्तरण कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी भरपाई किया जाना संभव नहीं होगा। इस प्रकार प्रार्थीगण अपने पक्ष में सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु साबित करने में सफल रहे है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रार्थीगण अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रथम दृष्टया साबित करने में सफल रहे है। अतएवं

–: आदेश :–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण के पक्ष में जारी एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 26.07.2024 को मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थाई किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/6, 2 लगायत 9 को मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम सेथूरिया की आराजी संख्या 1356, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1431, 1432 कुल किता 8 कुल रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा भूमि में प्रार्थीगण के 1/54–1/54 हक हिस्से, आराजी नम्बर 1430, 1433, 1763, 1764, 2067/1764 कुल किता 05 कुल रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा भूमि में प्रार्थीगण के 1/108–1/108 हक हिस्से तथा आराजी नम्बर 996, 1745, 1746 कुल किता 03 कुल रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा भूमि में 1/162–1/162 हक हिस्से की भूमि के उपयोग–उपभोग एवं कब्जा काश्त में दखलअंदाजी नहीं करे तथा मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद्ध किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 11 को वादग्रस्त भूमि के मूल वाद के निस्तारण तक किसी भी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन नहीं करने हेतु पाबंद्ध किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 10 को राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद्ध किया जाता है, परन्तु उक्त आदेश वादग्रस्त भूमि में किसी भी सहखातेदार की मृत्यु होने पर उसके विधिक वारिसान के नाम हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार विरासत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने पर प्रभावी नहीं होगा। उक्त स्थगन आदेश प्रार्थीगण के हक हिस्से तक प्रभावशाली रहेगा। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

16/6/25

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा